

इससे रूपरूप होता है कि अपीलार्थी को इस वाद के प्रति अभिरुचि नहीं रह गई है। फलतः अपीलार्थी को विगत कई तिथि से लगातार अनुपरिधित रहने वर्वा वाद के प्रति कोई अभिरुचि नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापिता रवि संशोधित

उपायुक्त - सह -
जिला दैडाधिकारी, गावा।

उपायुक्त - सह -
जिला दैडाधिकारी
गावा।